न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–01/2024 दायर दिनांक–14.05.2024
GCMS NO:- 2024/74 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. महेन्द्र आ0 रामकरण जाति बैरवॉ नि0 भजनेरी तहसील नैनवॉ वगैरह (कुल 14)

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री हसन मिया। **निर्णय दिनांक 11.06.2025**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भजनेरी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 602 की खसरा नम्बर 915 रकबा 1.3429 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या 370 की खसरा नम्बर 1968 रकबा 0.9465 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीगण खाातेदार स्वामी है। उक्त भूमि के खातेदार मांगीलाल का 3 वर्ष पूर्व इन्तकाल हो गया था जिसका नामान्तरकरण किसी कारण वश नही खुल सका।

यह कि प्रार्थीगण सीधे साधे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, प्रार्थीगण की भूमि के पास सिवायचक भूमि स्थित है जिस पर ताकतवर व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है तथा आये दिन सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि की सीमाओं का ज्ञान नही है इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी को गत वर्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान बाबत् दिया था किन्तु अप्रार्थी ने आज तक प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नही किया और कहा कि न्यायालय से पत्थगढी का आदेश लाओं तब तुम्हारा काम होगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम भजनेरी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 602 की खसरा नम्बर 915 रकबा 1.3429 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या 370 की खसरा नम्बर 1968 रकबा 0.9465 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– अक्षरे पांच सो रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा